11/A

1

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 02/16 तारीख रजू 01.02.16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर।
---आवेदक

बनाम

रवि शंकर पुत्र कृपा शंकर शर्मा (फर्म मालिक एवं मोके पर विक्रेता) उम्र 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पी.डब्यलू.डी. बगले के पास रेल्वे कालोनी सवाईमाधोपुर मैसर्स – कान्हा रेस्टोरेन्ट राम श्याम भोजनालय के पास हम्मीर सर्किल सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।

---अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक 11.1.19

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थय अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17/09/2015 को 03:00 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स – कान्हा रेस्टोरेन्ट राम श्याम भोजनालय के पास हम्मीर सर्किल सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पर पहूँचा। वहां पर रवि शंकर पुत्र कृपा शंकर शर्मा (फर्म मालिक एवं मोके पर विक्रेता) उम्र 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पी.डब्यलू.डी.बंगले के पास रेल्वे कालोनी सवाईमाधोपुर उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एव मोके पर विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छाया प्रति पेश की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) फ्रीज में लगभग 5 किलोग्राम में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। उक्त नमूना सील बंद लिफाफे में श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त प्राप्त की गई तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/2938 दिनांक 07/10/2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस 2465/एक्ट/2015/936 दिनांक 29/06/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है । जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

12/A

अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा सम्पेल लिया गया खाद्य पदार्थ की जांच रिपोर्ट अभियुक्त को न भिजवाकर सिधे ही आपके यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है। यदि उक्त जांच रिपोर्ट की जानकारी आवेदक को हो जाती तो आवेदक नियत समय पर रेफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु आवेदन कर सकता था। आवेदक द्वारा सम्पेल की प्रकिया भी पूर्ण नहीं की गई है। साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस 2465/एक्ट/2015/936 दिनांक 29/09/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)) पाया गया है तथा अभियुक्त का दौराने बहस यह कथन कि उक्त जांच रिपोर्ट की सूचना आवेदक द्वारा अभियुक्त को नहीं भिजवाई गई है। उक्त कम में पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक 2938 दिनांक 07/10/15 की प्रति संलग्न है। जिस पर अभियुक्त को उक्त सूचना रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की रसीद संलग्न है तथा अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज/गवाह पेश नहीं किए जिससे उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड प्रतीत नहीं होता हो।

उक्ताकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर